

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17-18/11638  
निमित्त:-

दिनांक :- 30/10/2017

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय:- कोटा से धरनावदा सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या  
FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558 है0) में सैद्धान्तिक स्वीकृति की  
अनुपालना में आक्षेप पूर्ति करने बाबत।

सन्दर्भ:- एफ 14( )2014/एफसीए/प्रमुवस/संमुवस/ईडीएस.-III दिनांक  
25.10.2017


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोटा से धरनावदा सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558 है0) में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में यूजर एजेन्सी द्वारा आक्षेप की पूर्ति करने के उपरान्त इस कार्यालय से सम्बन्धित बिन्दुओ की निम्नानुसार पालना प्रेषित है

क्र.सं.		
1	बिन्दु संख्या 1 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्ता प्रमाण पत्र हार्ड प्रति में संलग्न कर दिया गया है किन्तु ऑन लाईन नहीं किया गया है जो प्रस्तावित है।	बिन्दु संख्या 1 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्ता प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 2 की पालना में उप वन संरक्षक, द्वारा नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हार्ड प्रति में संलग्न कर दिया गया है किन्तु ऑन लाईन नहीं किया गया है जो प्रस्तावित है।	बिन्दु संख्या 2 की पालना में उप वन संरक्षक, द्वारा नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना को ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या 3 की पालना नहीं जिला कलेक्टर द्वारा जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड कर दिये गये हैं किन्तु अभी भी हार्ड प्रति संलग्न नहीं की गई है।	बिन्दु संख्या 3 की पालना में जिला कलेक्टर, बारां द्वारा जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र यूजर एजेन्सी द्वारा ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न की गई प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के KML FILE में DGPS map में पॉलीगान का क्षेत्रफल 14.2095 है0 है। जबकि आवेदित वन क्षेत्र 13.558 है0 है। सहर संशोधित KML FILE में DGPS map प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है।	बिन्दु संख्या 4 की पालना में यूजर एजेन्सी द्वारा KML FILE में DGPS map में पॉलीगान का क्षेत्रफल सही कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	बिन्दु संख्या 6 की पालना नहीं पार्ट -II के पुराने दस्तावेजो को नहीं हटाया है जो हटाया जाना प्रस्तावित है।	बिन्दु संख्या 6 की पालना में पार्ट-II के बिन्दु संख्या 16 मे से पुराने दस्तावेजो को हटा दिया गया है।

6	बिन्दु संख्या 9 की पालना अपूर्ण प्रस्ताव में MOEF Luckanow द्वारा उनके पत्रांक दिनांक 18.09.2015 से चाही गई सूचनाये दो वर्ष बाद अपूर्ण भिजवाई जाने का उपरान्त भी अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	बिन्दु संख्या 9 की पालना कर दी गयी है।
7	बिन्दु संख्या 10 की पालना अपूर्ण प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, बारां ने अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। किन्तु इनके सम्बन्ध कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट जिसमें कितने क्षेत्र में किनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई वर्तमान में स्थिति आदि संलग्न नहीं की गई है	बिन्दु संख्या 10 की पालना कर दी गयी है।
8	बिन्दु संख्या 8 की पालना में एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट मय लम्बाई, चौड़ाई के खसरावार/ग्रामवार	यूजर एजेन्सी द्वारा एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट मय लम्बाई, चौड़ाई के खसरावार/ग्रामवार ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।

भवदीय

  
उप वन संरक्षक  
बारां